न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 29/2021/आवेदन पत्थरगढी

1. हीरालाल
2. चांदमल कानाराम।
3. गट्टूदेवी पत्नि रूघनाथ।
4. ताराचन्द पुत्र दुर्गाराम।
5. फूलकीदेवी पत्नि दुर्गाराम।
6. प्रेमलता पत्नि प्रीतम कुमार।
   समस्त जाति कुमावत उम्र–वयस्क निवासीगण रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. पारसकुमार जैन पुत्र सोहनलाल जाति महाजन उम्र–वयस्क निवासी भौरडों का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थीगण

ब ना म

1. भगवान सहाय
2. मंगलचन्द पुत्रगण लिखमीचन्द ।
3. गोपाल पुत्र गोदाराम।
4. दीपक कुमावत पुत्र गोविन्द।
5. छोटी देवी पत्नि गोविन्द।
6. ओमप्रकाश
7. राजू पुत्रगण दुर्गाराम।
8. बलराम
9. बाबूलाल पुत्रगण रूघनाथ।
10. भगवान सहाय
    समस्त जाति कुमावत उम्र–वयस्क निवासीगण रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. तहसीलदार (भू–धारक) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111
भू–राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)

उपस्थिति–

1. वकील श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम प्रार्थीगण की ओर से।

2. वकील श्री योगेश शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नि र्ण य दिनांक– 05.08.2024

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.1000 हैक्टेयर तन धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में स्थित है। प्रार्थीगण / आवेदकगण उक्त वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है। किसी अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त कृषि भूमि से कोई सम्बंध, सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण/आवेदकगण स्वयं ने तन्हां खाते, कब्जे, स्वामित्व की उक्त वर्णित कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही समुचित नियमों के तहत दिनांक 03.02.2021 को करवा ली है। सीमाज्ञान कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न आवेदन है। सीमाज्ञान कार्यवाही के दौरान किसी पडौसी खातेदार से कोई विवाद नहीं हुआ है तथा ना ही भविष्य में पत्थरगड्डी कार्यवाही में विवाद होने की कोई संभावना समुचित तरीके से पत्थरगड्डी कार्यवाही के लिए पड़ौसी खातेदारों को इस आवेदन पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। पत्थरगड्डी के लिए आवेदन वर्णित कृषि भूमि के सह–खातेदार एवं पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण संख्या एक ता पांच है। खातेदार दल्लूदेवी पत्नि कानाराम व मंगली देवी पत्नि गोदाराम की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस पहले से ही रिकार्ड पर है जिनको पक्षकार है जिनको आवेदन पत्र में पक्षकार संयोजित कर लिये गये है। खातेदार भगवान सहाय मंगलबन्द पुत्रगण लिखमीचन्द गोपाल पुत्र गोदाराम सीमाज्ञान व पत्थरगड्डी कार्यवाही के लिए जानबूझकर सहमत नहीं है इसलिए उसे अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण/आवेदकगण ने स्वच्छ हाथों से पड़ौसियों से कोई दुर्भावना नहीं रखते हुए स्वयं के खाते कब्जे काश्त स्वामित्व की आवेदन वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगड्डी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। समुचित कार्यवाही करके पत्थरगड्डी के आदेश प्रदान किया जाना उचित व न्याथ संगत है। आवेदकगण एवं अनावेदकगण सख्या 6 ता 10 के हक, अधिकार एक समान ही है परन्तु वर्तमान में उक्त अप्रार्थीगण सख्या 6 ता 10 मजदूरी व काम–धन्धे के सिलसिले में बाहर गये हुए है व यहाँ पर मौजूद नही होने की वजह से उनको औपचारिक पक्षकार अप्रार्थी संयोजित किया गया है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही कि आवेदकगण की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 27 रकबा 0.1000 हैक्टर का तन धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांतारामगढ जिला सीकर की पत्थरगड्डी के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।
2. आवेदन पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा हाजिर। अप्रार्थीगण संख्या

2 लगायत 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने जबाब न देकर सीधा ही बहस कर निवेदन किया कि सभी पक्षकारों का सामलाती हिस्सा है जिसमें प्रार्थीगण के अलावा अन्य सहखातेदार भी है। अतः जब तक बंटवारा नहीं होता है तब तक पत्थरगढी का आदेश नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका कब्जा कहा है यह निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढी खारिज किया जावें।

4. आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों तथा सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 27 अविभाजित है जिसमें प्रार्थीगण के अलावा अन्य सहखातेदार भी है तथा बंटवारा नही हो रखा है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 का यह कथन है कि बिना बंटवारे के पत्थरगढी नही करवाई जा सकती उचित प्रतित नही होता क्योंकि अप्रार्थीगण अपने हिस्से कि भूमि पत्थरगढी नहीं करवाना चाहते बल्कि सम्पूर्ण खसरे की पत्थरगढी करवाना चाहते है। उक्त पत्थरगढी से सहखातेदारों के मध्य कोई कब्जे का निर्धारण नही होना है तथा जब तक भूमि सामलाती है तब तक यह सिद्धान्त है कि हर इंच पर हर खातेदार का अधिकार है। अतः कोई भी खातेदार इन भूमियों के संबंध में प्रार्थना पत्र, वाद व अन्य कार्यवाही करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 03.02.2021 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। उक्त पत्थरगढी के आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कब्जे से बलात् व बेदखल न करें।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ